तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 653/2026 अनवान खेमाराम वगैरा बनाम चम्पा वगैरा**	नम्बर व तारीखआहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए

07/01/2026

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल की श्रेणी में तक प्राप्त हो चुके है। आज बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध इकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण मौजा सिद्धाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र कगाऊ तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 176/155 रकबा 5.1800 हैक्टेयर, खसरा संख्या 179/71 रकबा 15.5318 हैक्टेयर व खसरा संख्या 70 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थीगण को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया मौजा सिद्धाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र कगाऊ तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 176/155 रकबा 5.1800 हैक्टेयर, खसरा संख्या 179/71 रकबा 15.5318 हैक्टेयर व खसरा संख्या 70 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी [illegible] विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.19[illegible] कमीश्नर फीस 1500/– अक्षरे एक हज[illegible] जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके [illegible] इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल–शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2026.02.02 18:18:24 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर